झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री जेवियर हेरेंज (कोटि क्रमांक–706/03, गृह जिला–गुमला), के विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के कार्यावधि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71(ए) के परन्तुक–II का दुरूपयोग कर ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं, जैसा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1041/रा0, दिनांक–18.03.2015 एवं पत्रांक–1959/रा0, दिनांक 08.05. 2015 द्वारा प्राप्त प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री हेरेंज के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री हेरेंज को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री हेरेंज द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री हेरेंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, अपर समाहर्त्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री जेवियर हेरेंज, झा0प्र0से0 एवं श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0..

ज्ञापांक–5/आरोप–1–16/2015 का0 **5449**/राँची, दिनांक **18** जून, 2015

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।